न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी —संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2023/165

निगरानी संख्या 33/2023

तारीख रजू 06.11.2023

1. पप्पूलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी छापर मोहल्ला खण्डार
2. रमेश चंद पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी छापर मोहल्ला खण्डार
3. रामरतन पुत्र छोटूलाल जाति माली निवासी छापर मोहल्ला खण्डार

......प्रार्थीगण/निगरानीकार

बनाम

1. डिग्गीप्रसाद सिंहल पुत्र राधारमण सिंहल निवासी खण्डार
2. ग्राम पंचायत खण्डार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

...........विपक्षीगण

उपस्थित — 1. श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री रमेश चंद गोयल एडवाकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.01.2026

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्डार के निर्णय दिनांक 05.09.2008 के विरूद्व पेश करते हुए अंकित किया है कि ग्राम पंचायत का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जिस स्थान पर पटटा जारी किया गया है उस स्थान पर अप्रार्थी का कोई कब्जा नहीं था और ना ही अब है, किसी प्रकार की दुकान की भूमि नहीं है। पट्टा सरपंच एवं सचिव से सांठ—गांठ करके विधि विरूद्ध जारी किया गया है। विवादित स्थल पर प्रार्थी अपने पिता के समय अर्थात् 30 वर्षो से कच्चा मकान एवं बाडा बनाकर रह रहा है। अप्रार्थी ने किसी अन्य स्थान का नक्शा बनाकर पेश किया है, जबकि मौके पर कब्जा प्रार्थीगण का आज भी बना हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता राजनैतिक रसूक वाला व्यक्ति है, जिसने ग्राम पंचायत में अनुचित प्रभाव डालकर विधि विरूद्ध तरीके से पट्टा लिया है। पटटा आवासीय प्रयोजन हेतु जारी करना था परन्तु साथ ही व्यवसायिक उपयोग की दुकानों हेतु भी जमीन आवंटित दिखाई गई है। आबादी पटटा की मद सं. 2 को रिक्त छोड रखा है अर्थात् नीलामी की कार्यवाही असल में नहीं की गयी एवं गुपचुप रूप से पटटा जारी किया गया है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में भूमि खातेदार हरिनारायण की होना बताया है जबकि हरिनारायण का कोई विक्रय पत्र, दान—पत्र प्रस्तुत नहीं किया। अप्रार्थी के भाई गुमानमल को भी पटटा सं0 18 जारी किया गया था जिसे इसी न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत मानकर निरस्तनीय माना है इसी बिनाह पर पटटा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी पट्टा सं0—14 दिनांक 05.09.2008 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलबी [illegible] नोटिस [illegible] की गयी अप्रार्थी सं. 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 [illegible] प्रकरण संख्या 36/10

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

निर्णय दिनांक 21.01.2011 की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण पूर्व में इसी न्यायालय से निर्णित हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रकरण रेसजूडीकेटा का होने के कारण मूल पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय से मंगवाने एवं प्रकरण पुनः मेरिट पर सुनने की आवश्यकता नहीं है इसी स्तर पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाये प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से बहस सुनाने की सहमति दी गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध गलत तरीके से जारी पट्टा दिनांक 05.09.2008 निरस्त योग्य है। विवादित स्थल पर प्रार्थी का बाडा, कच्चा मकान बना हुआ है तथा प्रार्थी का कब्जा है। अप्रार्थी ने सरपंच व सचिव से सांठ–गांठ कर विधि विरूद्ध बिना नीलामी की कार्यवाही कर गुपचुप रूप से पटटा प्राप्त किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत में भूमि खातेदार हरिनारायण की होना बताया है जबकि हरिनारायण का कोई विक्रय पत्र, दान–पत्र प्रस्तुत नहीं किया, ऐसी स्थिति में पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

वकील विपक्षी संख्या 1 ने वकील निगरानीकर्ता की बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत खण्डार के आदेश दिनांक 05.09.2008 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 की पूर्व में इसी न्यायालय में निगरानी संख्या 36/10 पेश की थी जिसका दिनांक 21.01.2011 को फैसला हो चुका है। इस प्रकार उक्त प्रकरण रेसजूडीकेटा का होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वकील विपक्षी संख्या 1 ने बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने उक्त निगरानी के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें उक्त विवादित पटटे की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18.10.2023 को होना अंकित किया है जबकि उक्त विवादित पटटा संख्या 14 दिनांक 05.09.2008 को निरस्त करने हेतु निगरानी संख्या 36/10 पेश दिनांक 23.07.2010 प्रार्थीगण द्वारा ही पेश की गई थी। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा उक्त पटटे की जानकारी से लगभग 15 वर्ष के अन्तराल बाद निगरानी पेश की गई है जो कि मियाद बाहर है। वकील विपक्षी संख्या 1 ने यह भी तर्क दिया कि उक्त विवादित पटटा संख्या 14 दिनांक 05.09.2008 रजिस्टर्ड पटटा है जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय की परिधि में आता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत खण्डार द्वारा जारी किये गये पटटा संख्या 14 दिनांक 05.09.2008 को निरस्त करने हेतु पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा विपक्षी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य इस न्यायालय में उक्त विवादित पटटा संख्या 14 दिनांक 05.09.2008 की निगरानी संख्या 36/10 दिनांक 21.01.2011 को निर्णित हुई है। प्रार्थीगण द्वारा पुनः इसी विवादित पटटा संख्या 14 दिनांक 05.09.2008 की निगरानी इसी न्यायालय में पेश की है जो कि रेसजूडीकेटा होता है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के साथ पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 मियाद अधिनियम के अनुसार भी यह निगरानी मियाद बाहर है। प्रार्थीगण को विवादित पटटा संख्या 14 की जानकारी लगभग 18 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पूर्व से ही रही है तथा प्रार्थीगण ने जानबूझ कर न्यायालय को गुमराह कर पुनः उसी बिन्दु पर निगरानी पेश की है। ऐसी स्थिति में मियाद की गणना में छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः निगरानी के साथ प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी सं0 1 ने पटटा पंजीकृत करवा लिया है जो रजिस्टर्ड हो जाने से इसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय की परिधि में आता है। अदालत हाजा इसे विधिक रूप से निरस्त नहीं कर सकती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गई निगरानी खारिज फरमायी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:38:35 IST
Reason: SelfAttested